



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1244) पटना, बुधवार, 16 जुलाई 2025

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई 2025

एस०ओ० 146, दिनांक 16 जुलाई 2025—चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि व्यवसायी राज्य की ओर से कर संग्रहित करके राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और यह कि राज्य में निबंधित एवं राज्य के निवासी नॉन—कॉरपोरेट करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में उनके कानूनी आश्रितों को अनुदान प्रदान करना आवश्यक है और उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये;

बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ—

- (1) यह योजना "बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ—इस योजना में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (क) "दुर्घटना" से अभिप्रेत है बाह्य हिंसा द्वारा कारित दुर्घटना के चलते मृत्यु जो दृश्यमान प्रकृति का हो और इसमें शामिल हैं यथा:—ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, साँप काटना, पानी में डूबना, आग से जलना, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण, परमाणु विकिरण तथा युद्ध आदि के कारण मृत्यु, जो भी हो, और यह सूची उदाहरणात्मक है न कि अंतिम;

परन्तु स्वयं पहुँचायी गयी क्षति द्वारा हुई मृत्यु या आत्महत्या या मादक द्रव्यों या मदोन्मत्त दशा के अधीन हुई दुर्घटना या दांडिक अपराध करते समय हुई मृत्यु अथवा स्वाभाविक मृत्यु अथवा रोग द्वारा हुई मृत्यु इसमें शामिल नहीं है;

परन्तु और कि राज्य—कर आयुक्त दुर्घटना मृत्यु के रूप में किसी ऐसी मृत्यु को स्वीकार कर सकेंगे जो योजना की कंडिका 2(क) से आच्छादित नहीं हो:

- (ख) “अंचल प्रभारी” से अभिप्रेत है राज्य—कर संयुक्त आयुक्त अथवा राज्य—कर उपायुक्त अथवा राज्य—कर सहायक आयुक्त, अंचल प्रभारी अथवा आयुक्त द्वारा इस हेतु विशिष्ट रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी:
- (ग) “राज्य—कर अपर आयुक्त” से अभिप्रेत है बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 3 के खंड (ग) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी:
- (घ) “आयुक्त” से अभिप्रेत है बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (24) में यथापरिभाषित “आयुक्त”:
- (ङ.) “आश्रित” से अभिप्रेत है मृतक निबंधित व्यवसायी की विधवा/विधुर, आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री और माता—पिता; तथा मृत अविवाहित निबंधित व्यवसायी की स्थिति में माता—पिता संयुक्त रूप से:
- (च) “नॉन—कॉरपोरेट करदाता” से अभिप्रेत है भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निबंधित करदाता को छोड़कर वैसे करदाता जिनका व्यवसायिक उद्यम, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 तथा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य क्षेत्राधिकार एवं केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के तहत बिहार राज्य में निबंधित हो एवं करदाता बिहार राज्य के निवासी हों:
- (छ) “व्यवसायिक उद्यम” से अभिप्रेत है एकल स्वामित्व या हिन्दु अविभक्त परिवार या साझेदारी फर्म के कानूनी हैसियत के तहत व्यवसाय और
- (ज) “योजना” से अभिप्रेत है “बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025”।

3. इसमें प्रयुक्त किन्तु इस योजना में अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 एवं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम/नियमावली, 2017 में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

4. **अर्हता।**— यह योजना केवल बिहार राज्य के निवासी वैसे निबंधित नॉन—कॉरपोरेट करदाताओं पर लागू होगी जिन्होंने दुर्घटना के ठीक पिछले वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में अपने निबंधन कोटि के अनुसार विहित समय—सीमा में रिटर्न दाखिल करते हुए अद्यतन स्वीकृत कर का भुगतान किया हो तथा उक्त अवधियों में उनका करदेय आवर्त शून्य नहीं रहा हो:

परन्तु वैसे नॉन—कॉरपोरेट करदाता, जिनके विरुद्ध अद्यतन स्वीकृत कर या अविवादित कर/सूद/शास्ति का बकाया हो; या बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132 अथवा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 81 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध किया गया हो, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

5. नॉन—कॉरपोरेट करदाता की दुर्घटना मृत्यु के मामले में कानूनी आश्रितों को रूपये पाँच लाख का अनुदान रेखांकित चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक खाता में हस्तान्तरण द्वारा भुगतान होगा।

6. यह व्यय “मांग संख्या 17— वाणिज्य—कर विभाग, मुख्य शीर्ष 2043— राज्य वस्तु एवं सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार, लघुशीर्ष 001—निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष—0001 निदेशन, 3701—अनुग्रह अनुदान के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उपबंधित बजट राशि से विकलनीय होगा। इसके लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में उपबंध किया जायेगा।

7. अनुदान राशि की निकासी विपत्र कोड 17- 2043000010001 के अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी एवं मृतक के नामित आश्रित या कानूनी आश्रित को इसका भुगतान किया जायेगा।

8. अनुदान राशि का भुगतान सर्वप्रथम मृतक व्यवसायी द्वारा इस हेतु नामित आश्रित को किया जायेगा तथा नामित किये जाने के अभाव में, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्राधिकार प्रमाण—पत्र/उत्तराधिकारी प्रमाण—पत्र के आधार पर कंडिका—2 की उप—कंडिका (ड.) में विनिर्दिष्ट आश्रितों के उपर से क्रम में एक कानूनी आश्रित को किया जायेगा।

9. इस योजना के अधीन अनुदान का दावा एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:—
 - (क) नॉन-कॉरपोरेट करदाता के दुर्घटना मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि के दावे हेतु आवेदन संबंधित वाणिज्य-कर अंचल के अंचल प्रभारी को नामित आश्रित/कानूनी आश्रित द्वारा विहित 'प्रपत्र-I' में किया जायेगा;
 - (ख) परन्तु यह कि हत्या की स्थिति में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के पश्चात तथा अन्य दुर्घटना संबंधी मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही अनुदान हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकेगा;
 - (ग) संबंधित अंचल प्रभारी दावा की जाँच कर इसे सम्पुष्ट करेंगे और मामले को विहित 'प्रपत्र-II' में संबंधित राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन) को प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करेंगे;
 - (घ) राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन) अपनी अनुशांसा के साथ उस दावे को राज्य-कर आयुक्त को भुगतान हेतु अग्रसारित करेंगे;
 - (ङ.) राज्य-कर आयुक्त संतुष्ट होने के पश्चात् कार्यालय आदेश द्वारा इस मद में उपबंधित राशि से दावा-राशि का भुगतान मृतक के नामित आश्रित/कानूनी आश्रित को अंचल प्रभारी के माध्यम से करेंगे।
10. एक से अधिक निबंधित व्यवसायिक उद्यमों के स्वामी के मामले में, अनुदान की राशि का भुगतान केवल एक व्यवसायिक उद्यम को किया जायेगा।
11. साझेदार फर्म के मामले में, मृत साझेदार के नामित आश्रित अथवा कानूनी आश्रित को अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।
12. एकल स्वामित्व व्यवसायिक उद्यम के मामले में, अनुदान राशि का भुगतान नामित आश्रित अथवा कानूनी आश्रित को किया जायेगा। अगर मृतक व्यवसायी की एक से अधिक वैध पत्नियाँ हों तो उत्तराधिकार की विधि के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
13. दावा प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह के अन्दर अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।
14. सभी वाणिज्य-कर अंचलों में इसके लिए 'प्रपत्र-III' में एक पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें वर्षवार संबंधित दुर्घटना की जानकारी एवं दावा से संबंधित निर्णय सम्यक रूप से अभिलेखित एवं संरक्षित रहेंगे।
15. राज्य स्तर पर राज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना, प्रमंडल स्तर पर राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन) तथा अंचल स्तर पर अंचल प्रभारी में इस योजना का प्रशासनिक नियंत्रण निहित होगा।
16. यदि किसी नॉन-कॉरपोरेट करदाता की बीमा पॉलिसी हो, तो भी उनके आश्रितों को इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।
17. ऐसे सभी पदाधिकारी, जो इस योजना के अधीन निहित कर्तव्यों का निर्वहन जानबूझ कर नहीं करते हों, वे अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
18. वाणिज्य-कर विभाग को इस योजना में संशोधन करने तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, समय-समय पर, निदेश जारी करने की शक्ति होगी।
19. इस योजना के लागू होने के उपरान्त, बिहार राज्य निबंधित व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014 अस्तित्व में नहीं रहेगी।

बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025 के अधीन अनुदान दावा से संबंधित
'प्रपत्र-I'
(तीन प्रतियों में*)

सेवा में,

वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी,
अंचल का नाम:-

1. मृत करदाता का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. मृत व्यवसायी की जन्मतिथि
4. व्यवसायिक उद्यम का नाम
5. व्यवसायिक उद्यम का पता
6. व्यवसायी की करदाता पहचान संख्या (TIN)/GSTIN
7. अंचल का नाम प्रमंडल का नाम.....
8. दुर्घटना होने की तिथि
9. दुर्घटना स्थान का पूरा विवरण
10. दुर्घटना का कारण (दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण).....
11. दुर्घटना के पश्चात् इलाज का संक्षिप्त विवरण
12. मृत्यु की तिथि
13. मृत्यु का कारण (अस्पताल का प्रमाण-पत्र संलग्न करें).....
14. आश्रित का नाम
15. आश्रित का पता
16. आश्रित का मृतक से संबंध
17. दूरभाष/मोबाईल नम्बर/ई-मेल.....

अनुलग्नक :-

1. मृत्यु प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति
2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति
3. प्राथमिकी (F.I.R.)/अप्राथमिकी(Non F.I.R.) की छाया प्रति
4. हत्या की स्थिति में न्यायालय में दाखिल चार्जशीट की अभिप्रमाणित प्रति
5. बिहार राज्य का निवासी होने से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति
6. वाणिज्य-कर अंचल के निबंधन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति
7. विगत एवं दावा वर्ष में कर भुगतान का साक्ष्य

स्थान :-

आश्रित का हस्ताक्षर

नाम :

दिनांक :-

पता :

बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025, के अंतर्गत प्राप्त रसीद
करदाता व्यवसायी स्व० के दुर्घटना मृत्यु अनुदान दावा के संबंध
में श्रीमती/श्री से दिनांक को अनुदान दावा
'प्रपत्र-I' प्राप्त किया।

हस्ताक्षर:.....

नाम:.....

पदनाम:.....

मुहर:.....

तिथि:.....

* प्रथम प्रति-अंचल प्रभारी, द्वितीय प्रति-राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं तृतीय प्रति-राज्य-कर आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।

बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025 के अधीन निबंधन, विवरणी एवं कर भुगतान से संबंधित 'प्रपत्र-II'
(तीन प्रतियों में*)

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० वाणिज्य-कर अंचल के राज्य/केन्द्रीय क्षेत्राधिकार अंतर्गत निबंधित नॉन-कॉरपोरेट करदाता थे। इनकी करदाता पहचान संख्या (TIN)..... एवं GSTIN थी। दुर्घटना की तिथि को इनका निबंधन वैध था तथा इनके द्वारा ठीक पिछले वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में विहित समय-सीमा में रिटर्न दाखिल किया गया था। उक्त अवधियों में उनके द्वारा रू०.....तथा रू० के स्वीकृत कर का भुगतान किया गया। करदाता बिहार के निवासी थे तथा पिछले एवं चालू वित्तीय वर्ष में इनका करदेय आवर्त क्रमशः रू०तथा रू०था। इनके विरुद्ध अद्यतन स्वीकृत कर या अविवादित कर/सूद/शास्ति का बकाया नहीं है एवं इन्हें बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132 अथवा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 81 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध नहीं किया गया है।

2. व्यापार उद्यम में मृत करदाता व्यवसायी की हैसियत :
- (i) एकल स्वामित्व
 - (ii) साझेदार
 - (iii) हिन्दु अविभक्त परिवार (कर्ता)
- (उक्त में जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

अंचल प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम:.....

पदनाम:.....

मुहर:.....

प्रति हस्ताक्षरित

राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन)

..... प्रमण्डल

हस्ताक्षर

नाम:.....

पदनाम:.....

मुहर:.....

* प्रथम प्रति- कानूनी आश्रित, द्वितीय प्रति- राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं तृतीय प्रति-राज्य-कर आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।

बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025 के अधीन पंजी के लिए
'प्रपत्र-III'

क्र० सं०	प्रपत्र-1 प्राप्ति की तिथि	व्यवसायिक उद्यम का नाम	अधिनियम एवं निबंधन संख्या	व्यवसायिक उद्यम की प्रकृति	व्यवसायिक उद्यम के स्वामी/कर्ता साझेदारों का नाम एवं पता	मृतक व्यवसायी का नाम	मृत्यु की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

नामित आश्रित/कानूनी आश्रित का नाम एवं पता	नामित आश्रित/कानूनी आश्रित का व्यवसायी से संबंध	प्रपत्र-II निर्गमन की तिथि	वाणिज्य-कर आयुक्त के स्वीकृत्यादेश का कार्यालय आदेश संख्या एवं तिथि	कार्यालय आदेश प्राप्ति की तिथि	विपत्र संख्या एवं तिथि	भुगतान की तिथि	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-09/2025) 2927]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

16 जुलाई 2025

एस० ओ० 146, दिनांक 16 जुलाई 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-09/2025) 2927]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 16th July 2025

S.O. No. 146, dated 16th July 2025—Whereas the state government is satisfied that dealers are playing a significant role in the economic development of the state by collecting taxes on behalf of the state and that it is necessary to provide grant to the legal dependents of Non corporate Taxpayers, registered in the state who is resident of Bihar, in the event of their accidental death and to achieve the said object;

Bihar Taxpayer Accidental Death Grant Scheme, 2025

1. Short title, extent & commencement.—

- (1) This Scheme may be called the Bihar Taxpayer Accidental Death Grant Scheme, 2025.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of issuance of this notification.

2. **Definitions**-*In this Scheme, unless otherwise requires in the context-*

- (a) **“Accident”** means death due to accident caused by external violence which is apparent in nature and shall include-

Train or road accident, electric shock, snake-bite, drowning, burning from fire, falling from tree or building, attack by wild animals, terrorist or criminal attack or death caused by atomic radiation and war etc, however, this list is illustrative and not exhaustive;

Provided that, it shall not include death caused by self inflicted injury or suicide or accident caused under inebriated condition or death caused while committing criminal offences or natural death or death caused by disease;

Provided further that, the Commissioner of State Tax may accept any death as an accidental death which is not covered under para 2(a) of the scheme;

- (b) **“Circle-in charge”** means the Joint Commissioner of State Tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax in charge of the circle or the officer specially empowered by the Commissioner in this behalf;
- (c) **“Additional Commissioner of State Tax”** means an officer appointed under clause (c) of section 3 of the Bihar Goods and services Tax, 2017;
- (d) **“Commissioner”** means Commissioner of State Tax as defined in clause (24) of section 2 of Bihar Goods and services Tax, 2017;
- (e) **“Dependent”** means widow/widower of registered dealer, dependent son, unmarried daughter and parent thereof; and in case of deceased unmarried registered dealer, father and mother jointly;
- (f) **“Non Corporate Taxpayer”** means a taxpayer, other than registered under Indian Companies Act, 1956, whose business Enterprise is registered under Bihar Value Added Tax, 2005 and in the state and central jurisdiction of Goods and Services Tax Act 2017, in the state of Bihar;
- (g) **“Business Enterprise”** means a business under legal status of Individual or Hindu Undivided Family (HUF) or Partnership firm; and
- (h) **“Scheme”** means Bihar Taxpayer Accidental Death Grant Scheme, 2025.

3. Words and expressions used herein but not defined in the scheme shall have the same meaning as are assigned to them in the Bihar Value Added Tax, 2005 and Bihar Goods and services Tax Act/Rules, 2017.

4. Eligibility- This scheme shall be applicable to only such registered Non corporate Taxpayers resident of Bihar, who have paid admitted tax by furnishing all returns of last and current financial year of accident within prescribed time for their category and their taxable turnover should not be zero in the said periods:

Provided that, a Non corporate Taxpayer against whom admitted tax and undisputed tax/interest/penalty is due or has been convicted of an offence under section 132 of The Bihar Goods and services Tax, 2017 or sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) of section 81 of The Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall not be eligible for this scheme.

5. In case of accidental death of a Non corporate Taxpayer, a grant of Rupees Five Lakh by way of crossed cheque/demand draft/bank account transfer shall be paid to the nominated or legal dependents.

6. This expenditure shall be made from the Budget provision of every financial year and shall be debitable to “Expenditure Head 17-Commercial Taxes Department, Major Head 2043-State Goods and Services Tax Sangrahan Prabhar, Minor Head 001-Nideshan and Prashasan, Sub-Head-0001-Nideshan, 3701 Ex-

Gratia Grant. A Budget provision shall be made in the budget of every financial year in this behalf.

7. The amount of grant shall be drawn by the D.D.O (Drawing and Disbursing Officer), Commercial Taxes Department, Bihar, Patna under Bill Code 17-2043000010001 and shall be paid to the nominated dependent or legal dependent of the deceased.

8. Amount of the grant shall be paid firstly to the dependent nominated in this regard by the deceased dealer and in the absence of any nomination, to one legal dependent in the order of the dependents as specified in sub Para (e) of Para 2 on the basis of family certificate/succession certificate issued by the competent authority.

9. Claim for grant and procedure of payment under this scheme will be as follows:-

- (a) In case of accidental death of Non corporate Taxpayer, application for claim of grant amount will be given to the circle-in-charge of the concerned Commercial Taxes Circle by the nominated dependent/legal dependent of the deceased in the prescribed 'Form-I';
- (b) Provided that in case of murder, application for grant can be filed only after filing of chargesheet in the court and in other accident related cases, only after post mortem report;
- (c) After examining the claim the concerned circle-in-charge shall confirm it and forward the matter in 'Form-II' to the concerned Additional Commissioner of State Tax (Administration) for counter signature;
- (d) The Additional Commissioner of State Tax (Administration) with his recommendation shall forward the claim to the Commissioner, Commercial Taxes Department for payment;
- (e) On being satisfied the Commissioner of State Tax, by an office order, shall pay the amount of claim from the budget provisions of its head to the nominated /legal dependent of the deceased through the circle-in-charge.

10. In case of owner of more than one registered Business Enterprises, the amount of grant shall be paid to one Business Enterprise only.

11. In case of a partnership firm, the amount of grant shall be paid to the nominated dependent or legal dependent of deceased partner only.

12. In case of an individual business enterprise, the amount of grant shall be paid to the nominated dependent or legal dependent. If the deceased dealer has more than one legal wife then the amount of grant will be paid to them as per law of succession.

13. Amount of grant shall be paid within three months from the date of submission of claim.

14. A register shall be maintained in prescribed Form-III in all circles of Commercial Taxes wherein year wise information regarding accidents and decisions regarding claim shall be duly recorded and preserved.

15. The administrative control of the scheme shall vest with the Commissioner of State Tax at state level, the Additional Commissioner of State Tax (administration) at division level and the circle-in-charge at circle level.

16. If a Non corporate Taxpayer has an insurance policy his dependent shall not be denied benefit under this scheme.

17. All such officers shall be liable for disciplinary action if they wilfully fail to discharge their duties prescribed under this scheme.

18. Department of Commercial Taxes shall have the powers to amend this Scheme and issue instructions from time to time for implementation of the scheme.

19. After implementation of this scheme, the Bihar State Registered Dealers Accidental Death Grants Scheme, 2014 will cease to exist.

**‘Form-I’ relating to claim of grant under Bihar Taxpayer
Accidental Death Grant Scheme, 2025
(In Triplicate*)**

To,

The Circle-in-Charge
Name of Circle-

1. Name of the deceased Taxpayer
2. Name of Father/Husband:-
3. Date of Birth of the deceased dealer :-
4. Name of Business Enterprise :-
5. Address of Business Enterprise :-
6. Taxpayer Identification No. (TIN) /GSTIN of the dealer :-.....
7. Name of circle :-Name of Division.....
8. Date of accident :-.....
9. Complete details of place of accident :-.....
10. Cause of accident (with brief details) :-
11. Brief details of treatment after accident :-.....
12. Date of death :-.....
13. Cause of death (Enclose certificate of the hospital) :-.....
14. Name of dependent :-.....
15. Address of dependent :-.....
16. Relation of dependent with the deceased :-.....
17. Telephone/Mobile No./E-mail:-.....

Enclosures :-

1. Attested copy of the death certificate
2. Attested copy of the post mortem report
3. Attested copy of the F.I.R./Non F.I.R.
4. Attested copy of the Charge sheet filed in the court, in case of murder
5. Attested copy of the Certificate of domicile of Bihar issued by competent authority
6. Attested copy of the registration certificate of Commercial Taxes Circle
7. Evidence of tax payment during the last and current year of claim.

Place :-

Signature of dependent:

Date :-

Name :

Address:

Receipt under Bihar Taxpayer Accidental Death Grant Scheme, 2025

Received grant claim 'Form-I' regarding the claim of accidental death grant of Taxpayer
Late.....from Smt./Shri.....on
dated

Signature.....

Name:.....

Designation:.....

Seal:.....

Date:.....

*Original, Duplicate and Triplicate copy to be sent to Circle-in-Charge/Add. Commissioner (Adm.)/Commissioner of State Tax respectively.

**'Form-II' relating to registration, return and payment of
tax under Bihar Taxpayer Accidental Death Grant
Scheme, 2025
(In Triplicate*)**

This is to certify that Late..... was a registered Non corporate Taxpayer of State/Central Jurisdiction of Commercial Taxes Circle Name of his business Enterprise was having Taxpayer Identification No. (TIN)..... and GSTIN His registration was valid on the date of accident and had paid admitted tax by furnishing all returns of last and current financial year of accident, within prescribed time for their category. Admitted tax of Rs. and Rs..... has been paid by him in the said periods. Taxpayer was domicile of Bihar and his taxable turnover in the last and current financial year was Rs..... and Rs..... Respectively. No any admitted tax and undisputed tax/interest/penalty is due and he has not been convicted of any offence under section 132 of The Bihar Goods and services Tax, 2017, or sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) of section 81 of The Bihar Value Added Tax Act, 2005

2. Status of the deceased Taxpayer in the Business Enterprise:

- (i) Proprietor
 - (ii) Partner
 - (iii) HUF (Karta)
- (Strike out which is not applicable)

Signature.....
Name:.....
Designation:.....
Seal:.....

Counter Signed

Additional Commissioner of State Tax (Adm.)

Division.....

Signature.....

Name:.....

Designation:.....

Seal:.....

Form-III for Register under Bihar Taxpayer Accidental Death Grant Scheme , 2025

Sl.No	Form-I Date of Receipt	Name of Business enterprise	Act & Registration number	Status of Business Enterprise	Name & address of Proprietor /Karta /Partners of business Enterprise	Name of the deceased dealer	Date of Death
1	2	3	4	5	6	7	8

Name & Address of Nominated dependent/ Legal dependent	Relation of Nominated dependent/Legal dependent with the deceased	Form-II Date of Issue	Number & date of Sanction order of Commissioner Commercial taxes	date of Receipt of Sanction order in the circle	Bill No. & Date	Date of Payment	Remarks
9	10	11	12	13	14	15	16

[(File No. Bikri kar/ vividh-09/2025-2927)]

By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1244-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>